न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी	:	**संदीप आनन्द, आर.जे.एस.** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	79/2022
सी.आई.एस. नं.	:	79/2022
एफआईआर संख्या	:	187/2020 पुलिस थाना गांधीनगर।

राजस्थान राज्य

बनाम

1. आसिक पुत्र अलाउद्दीन, उम्र 22 साल, निवासी रामनेर ढाणी (सरदार सिंह की ढाणी) पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर।

2. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद बाबू उम्र 25 साल, निवासी सोनगरा के मकान के पास वार्ड नं. 5 चमड़ाघर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर।

3. सुखराम पुत्र श्री गोविन्दराम, उम्र 24 साल निवासी धांधों की ढाणी नोनन्दपुरा पुलिस बाना रूपनगढ़ हाल शिवविहार कॉलोनी वार्ड–1 गांधीनगर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर।

4. विनोद पुत्र श्री हरलाल, उम्र 25 साल निवासी सरदारसिंह की ढाणी (रामनेर ढाणी) पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर।

5. धर्मेन्द्र पुत्र श्री बिशनलाल उम्र 31 साल निवासी मैन रोड सांवतसर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर।

6. शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र शाहबुदीन उम्र 30 साल, निवासी देशवाली मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ पुलिस थाना किशनगढ़ शहर जिला अजमेर।

7. गिरधारी पुत्र श्री नानूराम उम्र 25 साल निवासी कोटडी पुलिस थाना रूपनगढ़ हाल किरायेदार रुपाराम चौधरी निवासी चौधरी कॉलोनी वार्ड नं. 03 गांधीनगर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर।

8. नौरत चौधरी उर्फ सेफ्री पुत्र श्री गोपीराम उम्र 22 साल, निवासी जाट समाज भवन के पास सांवतसर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर।

9. करतार पुत्र श्री श्योजीराम उम्र 24 साल निवासी बांगडों की ढाणी चीताखेड़ा पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर।

10. आदिल पठान पुत्र नवाब खान उम्र 23 साल निवासी इमामबाड़ा के पास चमड़ाघर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर। **(मफरूर)**

11. रजत जैन (सोनी) पुत्र श्री अनिल कुमार उम्र 27 साल निवासी इटावा रोड सिरसागंज थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद (यूपी)

--अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 307/109 **भा.दं.सं.**

उपस्थितिः-

1-श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2-श्री रूपेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं. 1 की ओर से।
3-श्री आबिद अली, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं. 2 की ओर से।
4-श्रीमती आस्था बैरवा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 03 की ओर से।
4-श्री नवीन बैरवा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं. 4, 5, 7, 8, 9 व 11 की ओर से।
5-श्री अब्दुल हफीज, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं. 6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 07-05-2026

1. हस्तगत प्रकरण में **अभियुक्त आदिल पठान पुत्र नवाब खान मफरूर** है। अतः

हस्तगत प्रकरण के शेष रहे अभियुक्तगण आसिक, मोहम्मद सलीम, सुखराम, विनोद, धर्मेन्द्र, शाहनवाज उर्फ शानू, गिरधारी, नौरत चौधरी उर्फ सेफ्री, करतार एवं रजत की हद तक प्रकरण का निस्तारण इस निर्णय/आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. हस्तगत प्रकरण के **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार है कि परिवादी गजेन्द्र सिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 दिनांक 02.07.2020 को पुलिस थाना गांधीनगर पर इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की कि परिवादी गजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र वैष्णव और महेन्द्र जोशी तीनों ऑफिस में बैठे थे। दो लड़कियां व एक लड़का एक्टिवा स्कूटर पर बैठकर आये व उसके गोदाम व ऑफिस के सामने स्कूटी पर बैठकर अश्लील हरकतें करने लगे तो उन तीनों ने उनको ऐसी हरकतें नहीं करने और यहां से आगे चले जाने को कहा। दोनों लड़कियां व लड़का उन्हें गालियां देने लग गये। उन्होंने कहा कि अभी रूको हम और आदमियों को बुलाते हैं। उसके बाद फोन करके गुण्डों की तीन गाडियां बुलवाई, जिसके गाड़ी नंबर स्कॉर्पियो आर.जे.-42-यू.बी.-5100 व जीप नं. आर.जे.-01-यू.बी.-1855 व स्विफ्ट नं. आर.जे.-01-सी.बी.-8066 में बैठकर आए जो इनके हाथ में लोहे की राड व डण्डे थे। ऑफिस में बैठे हुए पर उनके ऊपर हमला किया तथा गाली गलोच करते हुए उन तीनों पर वार किया और लूट कसोट की, कपड़े फाड़कर उसकी सोने की चैन व ऑफिस की दराज से 50,000/-रुपये लेकर भाग गये। जबकि उन्होंने पहले पुलिस को टेलिफोन किया। पुलिस को आते देखकर अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गये व उसके सिर में गम्भीर चोट लगने से वह गिर गया व उसके सिर से काफी खून बह गया व जितेन्द्र व महेन्द्र जोशी

के भी डण्डे की चोटें आई। बाहर खड़े आदमियों ने इनकी पहचान कर उन्हें बताया सुमेर कॉम्पलेक्स में स्टेलिंग टेलर्स के नाम से दुकान है, ये लड़कियां उसकी है, इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस गांधीनगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 187/2020 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 379, 504 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण आसिक, मोहम्मद सलीम, सुखराम, विनोद, धर्मेन्द्र, शाहनवाज उर्फ शानू, गिरधारी, नौरत चौधरी उर्फ सेफ्री, करतार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 307 भारतीय दण्ड संहिता में तथा अभियुक्तगण आदिल पठान एवं रजत के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 307/109 भारतीय दण्ड संहिता में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, किशनगढ़ के समक्ष दिनांक 01.10.2022 को प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने इन धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया एवं यह प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को उपार्पित किया।

4. यह प्रकरण उपार्पित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आरोप बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण आसिक, मोहम्मद सलीम, सुखराम, विनोद, धर्मेन्द्र, शाहनवाज उर्फ शानू, गिरधारी, नौरत चौधरी उर्फ सेफ्री, करतार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 307

भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्तगण **आदिल पठान एवं रजत के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा** 452, 323, 504, 307/109 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो मुलजिमान ने आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया-

क्र.स.	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1.	पी.डब्ल्यू– 1	गजेन्द्र सिंह राठौड़
2.	पी.डब्ल्यू– 2	भावना
3.	पी.डब्ल्यू– 3	कृष्णा सोनी
4.	पी.डब्ल्यू– 4	महेन्द्र जोशी
5.	पी.डब्ल्यू– 5	जितेन्द्र कुमार वैष्णव
6.	पी.डब्ल्यू– 6	अशोक कुमार राका
7.	पी.डब्ल्यू– 7	गोपी गुर्जर
8.	पी.डब्ल्यू– 8	प्रेमचंद
9.	पी.डब्ल्यू– 9	हेमन्त कुमार
10.	पी.डब्ल्यू– 10	डॉ. शीलारानी जैन
11.	पी.डब्ल्यू– 11	ओमप्रकाश
12.	पी.डब्ल्यू– 12	लक्ष्मण लाल
13.	पी.डब्ल्यू– 13	सोनू
14.	पी.डब्ल्यू– 14	विनोद सिंह

15.	पी.डब्ल्यू– 15	मांगीलाल
16.	पी.डब्ल्यू– 16	अरूण सिंह

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया–

क्र.स.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी– 1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी– 2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी– 3	नक्शामौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी– 4	पुलिस बयान गजेन्द्र सिंह
5.	प्रदर्श पी– 5	पुलिस बयान सुश्री भावना सोनी
6.	प्रदर्श पी– 6	पुलिस बयान सुश्री कृष्णा सोनी
7.	प्रदर्श पी– 7	पुलिस बयान महेन्द्र जोशी
8.	प्रदर्श पी– 8	पुलिस बयान जितेन्द्र वैष्णव
9.	प्रदर्श पी–9	चोट प्रतिवेदन जितेन्द्र
10.	प्रदर्श पी– 10	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
11.	प्रदर्श पी–11	फर्द गिरफ्तारी आसिक
12.	प्रदर्श पी–12	फर्द गिरफ्तारी मोहम्मद सलीम
13.	प्रदर्श पी–13	फर्द गिरफ्तारी आदिल
14.	प्रदर्श पी–14	फर्द जब्ती थार जीप नं. आर.जे.–01–यू.बी.–1855

15.	प्रदर्श पी– 15	फर्द जब्ती स्विफ्ट कार नं. आर.जे.–01–सी.बी.–8066
16.	प्रदर्श पी–16	फर्द गिरफ्तारी सुखराम
17.	प्रदर्श पी–17	फर्द गिरफ्तारी विनोद
18.	प्रदर्श पी–18	फर्द गिरफ्तारी धर्मेन्द्र
19.	प्रदर्श पी–19	फर्द जब्ती स्कॉर्पियो
20.	प्रदर्श पी–20	फर्द जब्ती लोहे का सरिया
21.	प्रदर्श पी–21	फर्द गिरफ्तारी करतार
22.	प्रदर्श पी–21	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
23.	प्रदर्श पी–22	फर्द गिरफ्तारी रजत
24.	प्रदर्श पी–22	एक्सरे प्लेट गजेन्द्र सिंह
25.	प्रदर्श पी–23 व 24	एक्सरे रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह
26.	प्रदर्श पी–25	एक्सरे प्लेट गजेन्द्र सिंह
27.	प्रदर्श पी–26	फर्द गिरफ्तारी शाहनवाज उर्फ शानू
28.	प्रदर्श पी–27	फर्द गिरफ्तारी नौरत चौधरी उर्फ सेफुली
29.	प्रदर्श पी–28	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
30.	प्रदर्श पी–29	फर्द गिरफ्तारी गिरधारी

7. अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् मुलजिमान का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 जाप्ता फौजदारी में किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए, स्वयं को निर्दोष होना

एवं झूठे फंसाए जाने के कथन करते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना नहीं चाहा जिस पर बचाव साक्ष्य समाप्त की गई।

8. उभय पक्षों द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि अभियोजन द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी सहित सभी मजरूबान व चश्मदीद साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मुलजिमान को आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

10. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.07.2020 को किसी समय घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूबान गजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र वैष्णव व महेन्द्र जोशी को साशय अपमानित कर एवं परिवादी गजेन्द्र सिंह राठौड़ के ऑफिस में गृह अतिचार कर इन

मजरूबान के साथ घातक आयुधों से मारपीट कर इन्हें साधारण व प्राण घातक चोटें कारित की?

2. यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

11. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करें तो हस्तगत प्रकरण का परिवादी गजेन्द्र सिंह गवाह पी. डब्ल्यू-1 के रूप में प्रस्तुत होकर परीक्षित हुआ है। यह गवाह इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 02.07.2020 की घटना है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था। तब मेरे ऑफिस के सामने एक लड़का व एक लड़की काफी देर से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। मेरे द्वारा उनको टोका गया कि आप यहां क्या कर रहे हो तब मेरे व उन दोनों के मध्य आपस में बोलचाल हो गये। लड़का व लड़की दोनों मौके से चले गये। उसके कुछ देर बाद तीन गाडियां, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट व जीप में कुछ लड़के आये थे, जिन्होने मेरे, महेन्द्र व जितेन्द्र के साथ हाथापाई की व गाली-गलोच भी की। उक्त लोगों को मैं नाम से नहीं जानता था। उक्त लोगों के मेरे ऑफिस से जाने के बाद मैंने पुलिस को फोन किया। मेरे चोट आने पर मुझे अस्पताल में ले जाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा पीएस गांधीनगर में पेश की गई थी, जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी दो जगह मेरे हस्ताक्षर है। चाक सुदा एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 03.07.2020 को समय करीब 10.30 एएम पर पुलिस ने मेरी निशांदेही से प्रदर्श पी 03 बनाया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे साथ मारपीट करने वाले जिन वाहन में बैठकर आए उनके नम्बर मुझे आज याद नहीं है। आज हाजिर अदालत मुलजिमान आसिक, मोहम्मद सलीम, सुकराम, विनोद, धर्मेन्द्र, सहनवाज, गिरधारी,

करतार ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी। मैं आदिल, नौरत व रजत नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह ने विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 4 का सी से डी, ई से एफ, जी से एच भाग पुलिस को लिखाए जाने से इनकार किया है एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जो नंबर वाहनों के उसने प्रदर्श पी. 1 में लिखाए थे, वह उसने अपनी स्वयं की आंखों से नहीं देखें।

12. प्रकरण का अन्य मजरूब महेन्द्र जोशी पी.ड. 4 के रूप में प्रस्तुत होकर परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं DMTC Transport व मार्बल गोदाम में काम करता था। करीब 5 साल पहले मैं, Transport के मालिक जितेन्द्र व गजेन्द्र Transport पर बैठे थे। तब ऑफिस के सामने 2 लड़कियां व एक लड़का स्कूटी पर बैठकर आये व हमारे ऑफिस के सामने स्कूटी पर बैठकर काफी देर से खड़े होकर बाते कर रहे थे। तब Transport मालिक गजेन्द्र सिंह ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा था। आपस में गाली गलोच हो गई। उसके बाद कुछ गाड़ियों में 8–10 लोग बैठकर हमारे ऑफिस आए, जिन्हें मैं नाम व शक्ल से नहीं जानता। इन लोगों व गजेन्द्र सिंह के मध्य आपस में बोलचाल हो गई। गजेन्द्र सिंह के सिर में चोट आ गई थी, किसने मारी मुझे नहीं पता। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह ने विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 7 के सी से डी, ई से एफ भाग पुलिस को नहीं लिखाए जाने का कथन किया है एवं यह गवाह पूर्ण रूप से इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

13. प्रकरण का अन्य मजरूब जितेन्द्र कुमार वैष्णव पी.ड. 5 भी इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं, महेन्द्र जोशी, गजेन्द्र सिंह डीएमटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर बैठे थे। तब ऑफिस के सामने एक स्कूटी जिस पर एक लडका व दो

लडकियां बैठी थी, उनसे महेन्द्र जोशी व गजेन्द्र के मध्य कहासुनी हो गई थी, जिस पर कुछ लोग गाडियों में बैठकर आये थे। गाड़ी नंबर व उनमें आए लोगों को मैं नहीं जानता व शक्ल से नहीं पहचानता। इस मारपीट में गजेन्द्र सिंह के सिर में मामूली चोट आ गई थी। किसने मारी मुझे नहीं पता। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह ने विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 8 का ई से एफ, जी से एच भाग पुलिस को लिखाए जाने से इनकार किया है एवं यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मैंने मारपीट करने वाले व्यक्तियों के नाम पुलिस को बताए हो।

14. इस तरह से हस्तगत प्रकरण का परिवादी गजेन्द्र सिंह राठौड़ व मजरूबान जितेन्द्र वैष्णव व महेन्द्र जोशी इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं तीनों गवाहान ने मुलजिमान द्वारा उनके साथ कोई घटना कारित किए जाने से इनकार किया है।

15. अन्य गवाहान की साक्ष्य पर विचार करे तो चश्मदीद साक्षी पी.ड. 2 भावना इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुई है। इस गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने लड़ाई–झगड़ा होते हुए नहीं देखा। इस गवाह ने विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 5 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाए जाने से इनकार किया है।

16. इसी तरह चश्मदीद गवाह पी.ड. 3 कृष्णा सोनी भी इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुई है। इस गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने लड़ाई–झगड़ा होते हुए नहीं देखा। इस गवाह ने विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 6 के ई से एफ भाग को पुलिस को बताए जाने से इनकार किया है।

17. गवाह पी.ड. 6 अशोक कुमार राका ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मेरा मार्बल गोदाम बालाजी मंदिर के सामने डीएमटीसी ट्रांसपोर्ट के पास में स्थित है। डीएमटीसी ट्रांसपोर्ट गजेन्द्र सिंह का है। करीब पांच वर्ष पूर्व की बात है। मैं अपने गोदाम

पर था, तभी तीन–साढे तीन बजे दो लड़कियां व एक लड़का गजेन्द्र सिंह के ट्रांसपोर्ट के पास खड़े थे। उक्त लड़के व लड़कियां आपस में अश्लील हरकते कर रहे थे, जिन्हें देखकर गजेन्द्र सिंह जी ने उन्हें वहां भगाने के लिए अपने कर्मचारी से कहा। जिस पर गजेन्द्र सिंह के कर्मचारी व उक्त लड़का–लड़कियों में आपस में कहासुनी हो गई। फिर गजेन्द्र सिंह भी बाहर आ गये और उन्होंने भी उक्त लड़के लड़कियों को वहां से चले जाने को कहा तब उनसे भी कहासुनी करने लगे। थोड़ी देर बाद वे लड़का और लड़कियां वहां से चले गये। थोड़ी देर बाद दो–तीन फॉर व्हीलर आठ–सात लड़के आये और गजेन्द्र सिंह के ट्रांसपोर्ट में घूस गये। उक्त लड़कों में एक लड़के के हाथ में लोहे का सरिया भी था। उन्होंने गजेन्द्र सिंह के ट्रांसपोर्ट मे घूसकर मारपीट की। उस मारपीट में गजेन्द्र सिंह के सिर में सरिये की लग गई। सिर में लगने के बाद उक्त सभी लड़के अपनी गाडियों में बैठकर वहां से भाग गये। मैंने घटना मेरे गोदाम से देखी थी। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुलजिमान जिन गाड़ियों में बैठकर आए, उन गाड़ियों के नंबर मैं नहीं बता सकता। मैं मुलजिमान के नाम नहीं बता सकता। मैं मुलजिमान को नहीं जानता हूं। मैं मुलजिमान की कद काठी व हुलिया भी नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आई.ओ. ने मुझसे इन मुलजिमान की शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं करवाई थी।

18. इस तरह उक्त गवाहान में से चश्मदीद साक्षी पी.ड. 2 भावना व पी.ड. 3 कृष्णा सोनी पक्षद्रोही घोषित हो जाने से अभियोजन की कोई मदद नहीं करती हैं एवं यह गवाह पी.ड. 6 अशोक कुमार राका भी अपनी जिरह में मुलजिमान को जानने से व उनके कद काठी व हुलिए को बताए जाने से स्पष्ट इनकार करता है। इस गवाह ने मुलजिमान की गाड़ियों के नंबर बताए जाने से भी इनकार किया है। यहां तक कि इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि ये मुलजिमान आज उसके सामने उपस्थित हो तो भी मैं उन्हें नहीं पहचान सकता। यह कहना सही है कि वह घटनास्थल पर चोट लगने के बाद पहुंचा था अर्थात् यह गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

19. गवाह पी.ड. 7 गोपी गुर्जर अपनी साक्ष्य में उसे धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी. 10 थानाधिकारी द्वारा दिए जाने का कथन करता है एवं जिरह में कथन करता है कि उसने प्रदर्श पी. 10 पर सी से डी भाग नहीं लिखा।

20. गवाह पी.ड. 8 प्रेमचंद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 07.07.2020 को मैं पीएस गांधीनगर पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाने पर दर्ज मुकदमा नम्बर 187/20 के आई.ओ. श्री राजेश कुमार एसआई ने अभियुक्त आसिक पुत्र अलाउद्दीन को मेरे व कानि. ओमप्रकाश के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 14.07.2020 को उक्त प्रकरण के आई ओ ने मेरे व कानि. ओमप्रकाश के समक्ष अभियुक्त मोहम्मद सलीम व आदिल पठान को जरिये फर्द गिरफतार किया था जिनकी फर्द गिरफतारी क्रमशः प्रदर्श पी 12 व 13 है जिन पर क्रमशः ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 12.07.2020 को आई ओ साहब ने मेरे व ओमप्रकाश के समक्ष उक्त वारदात के समय काम में लिये गये वाहन थार जीप नम्बर आरजे 01 यूवी 1855 को जरिये फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 14.07.2020 को प्रकरण के आई ओ अभियुक्त मोहम्मद सलीम से अजकब्जा स्विफ्ट कार नम्बर आरजे 01 सीबी 8066 को मेरे व ओमप्रकाश के समक्ष जरिये फर्द जब्त किया जो प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 17.07.2020 को प्रकरण के आई ओ राजेश कुमार ने मेरे व ओमप्रकाश के समक्ष अभियुक्तगण सुखराम, विनोद, व धर्मेन्द्र को जरिये फर्द गिरफ्तारी किया गया जिनकी फर्द गिरफ्तारियां क्रमशः प्रदर्श पी 16, 17 व 18 है जिन पर क्रमशः ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त सभी मुलजिमान की जामा तलाशी कानि. ओमप्रकाश से लिवाई गई तो पहने हुए पार्चेजात के अलावा अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। दिनांक 17.07.2020 को अभियुक्त सुखराम के कब्जे से वारदात के समय काम में ली गई वाहन स्कॉर्पियो नम्बर आरजे 42 यूवी 5100 को मेरे व ओमप्रकाश कानि के समक्ष कब्जे पुलिस लेकर जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी मेरे

हस्ताक्षर है। उसी दिन प्रकरण के आई.ओ. ने अभियुक्त सुखराम की इतला अनुसार उसकी निशांदेही से जब्तसुदा स्कॉर्पियो गाडी की डिक्की खोलकर एक लोहे का सरिया मेरे व कानि. ओमप्रकाश के समक्ष बरामद किया जिसे अनुसंधान अधिकारी ने एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर मार्का ए अंकित कर जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दिनांक 30.06.2021 को प्रकरण के आई ओ श्री विजय सिंह ने मेरे व कानि. लक्ष्मणलाल के समक्ष अभियुक्त करतार जाट को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 04.08.2021 को प्रकरण के आई ओ श्री विजय सिंह ने मेरे व कानि. अरविन्द के समक्ष अभियुक्त रजत सोनी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि स्विफट कार पुलिस थाना गांधीनगर पर कौन चलाकर लाया व कितने बजे लाया, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

21. गवाह पी.ड. 9 हेमन्त कुमार इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने प्रदर्श पी. 21 के ए से बी भाग को पुलिस को बताए जाने से इनकार किया है एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 02.07.2020 को उक्त वाहन को समय करीब सवा चार बजे वह स्वयं ही चलाकर जयपुर गया हुआ था।

22. गवाह पी.ड. 10 डॉ. शीलारानी जैन ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 03.07.2020 को वाईएन अस्पताल किशनगढ़ में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन मैंने मेडिकल ज्यूरिष्ठ के प्रतिवेदन पर गजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 66 वर्ष के कपाल की हड्डी का एक्सरे करवाया था जो कि प्लेट नम्बर 173 है जो प्रदर्श पी 22 है। जिसकी एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। गजेन्द्र सिंह के दुबारा एक्सरे की मैने एडवाईज की थी जो कि

11.07.2020 को हुआ जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी राय व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। एक्स रे रिपोर्ट के अनुसार गजेन्द्र सिंह के पैराइटल बोन में अस्थिभंग था। जिसकी एक्सरे प्लेट 184 नम्बर है जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 23 में एक्सरे रिपीट करने का कोई कारण का इंद्राज नहीं है। अजखुद कहा कि एक्सरे रिपीट क्यों करवाया गया, इसका कारण आज मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 23 बनाते समय मजरूब के उस समय मुझे फ्रैक्चर नजर नहीं आया।

23. गवाह पी.ड. 11 ओमप्रकाश, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 07.07.2020 को पीएस गांधीनगर पर कानि के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा संख्या 187/2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 504 आईपीसी के प्रकरण में पीएस गांधीनगर पर आई.ओ. ने मेरे समक्ष मुलजिम आसिक को जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 गिरफ्तार किया था, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। इसी मुकदमे के अनुसंधान के दौरान दिनांक 12.07.2020 को शाम को साढे चार बजे वारदात के समय काम में लिये गये वाहन थान जीप संख्या आरजे 01 यूबी 1855 को बतौर वजह सबूत मेरे समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 जब्त किया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त मोहम्मद सलीम को प्रकरण में दिनांक 14.07.2020 को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मोहम्मद प्रदर्श पी 12 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त मुलजिम की जामा तलाशी मेरे द्वारा ली गई जिसमें पार्चेजात के अलावा अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। उक्त दिवस को ही अभियुक्त आदिल पठान को मेरे व कानि. प्रेमचंद के समक्ष जरिये फर्द गिरफतार किया गया जिसकी जामा तलाशी मेरे द्वारा ली गई। जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रकरण में एक स्विफ्ट कार आरजे 01 सीबी 8066 मुल्जिम मोहम्मद सलीम की निशांदेही से थाने पर जब्त कर मेरे व प्रेमचंद कानि के समक्ष जरिये फर्द जब्त किया गया जो प्रदर्श पी 15 है जिस पर सी से

डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 17.07.2020 को प्रकरण के जांच अधिकारी द्वारा मुल्जिम सुखराम, विनोद, व धर्मेन्द्र को मेरे व कानि प्रेमचंद के समक्ष जरिये फर्द गिरफतारी किया था जिनकी जामा तलाशी मेरे द्वारा ली गई थी। उक्त फर्द गिरफतारी क्रमशः प्रदर्श पी 16, प्रदर्श पी 17 व प्रदर्श पी 18 है जिन पर क्रमशः सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 17.07.2020 को मुल्जिम सुखराम से एक स्कॉर्पियो नम्बर आरजे 42 यूबी 5100 थाने पर मेरे व कानि प्रेमचंद के समक्ष जरिये फर्द जब्त की गई जो प्रदर्श पी 19 है जिस पर सी से डी हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम सुखराम की निशांदेही पर घटना मे काम में लिया गया एक लोहे का सरियो स्कॉर्पियो की गाडी से मेरे व कानि. प्रेमचंद के समक्ष जरिये फर्द जब्त किया गया जो प्रदर्श पी 20 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 24.02.2021 को इसी प्रकरण में जांच अधिकारी विजय सिंह द्वारा अभियुक्त गिरधारी को मेरे व अरूण कानि के समक्ष जरिये फर्द गिरफतार किया था। जिसकी जामा तलाशी अरूण कानि द्वारा ली गई थी। उक्त फर्द पर सहवन से मेरे हस्ताक्षर नही है। उसी दिन मुल्जिम शाहनवाज उर्फ शानू व नौरत चैधरी उर्फ शेफली मेरे व कानि अरूण सिंह के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया था जिसकी जामा तलाशी अरूण सिहं के द्वारा ली गई जिसमें अलावा पार्चेजात अन्य कुछ बरामद नही हुआ। मुल्जिमान शाहनवाज उर्फ शानू व नौरत चैधरी उर्फ शेफली की फर्द गिरफ्तारियां क्रमशः प्रदर्श पी 26 व प्रदर्श पी 27 है जिन पर क्रमशः ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मेरे समक्ष मुलजिमान के हक, अधिकार व कब्जे के मकान आदि से कोई सरिये की बरामदगी नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि सरिये की बरामदगी थाने पर ही की गई थी। यह कहना सही है कि जब्तसुदा सरिये जैसे सरिये आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। यह कहना सही है कि जब्त सरिये पर किसी भी प्रकार के खून आदि के अलामात नहीं देखें थे।

24. गवाह पी.ड. 12 लक्ष्मण लाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 30.06.2021 को पीएस गांधीनगर पर कानि के पद पर पदस्थापित था। प्रकरण संख्या 187/2020 में आरोपी करतार जाट को अनुसंधान अधिकारी श्री विजय सिंह उ.नि.

थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा प्रकरण में मेरे व प्रेमचंद कानि. के समक्ष जरिये फर्द गिरफतारी किया था।, जो प्रदर्श पी 21 है, मुलजिम करतार की जामा तलाशी कानि प्रेमचंद से लिवाई गई तो पहने हुए पार्चेजात के अलावा अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कोई जिरह नहीं की गई।

25. गवाह पी.ड. 13 सोनू ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं जयपुर रोड पर बालाजी मंदिर के सामने अशोक के मार्बल के गोदाम पर काम करता था। अशोक के गोदाम के पास डीएमटीएस ट्रांसपोर्ट है, जिसके मालिक का नाम गजेन्द्र सिंह था। दिनांक 02.07.2020 को शाम तीन–चार बजे की बात है। मैं गोदाम पर ही था। तभी वहां एक लड़का व दो लड़की स्कूटी पर आये थे और ट्रांसपोर्ट के सामने खडे होकर बाते कर रहे थे तो गजेन्द्र सिंह ने उनको वहां से जाने के लिए कहा तो वहां से चले गये। थोडी देर बात 6–7 जने फोर व्हीलर में आये। जिन्होंने गाडी से सरिया निकाला औ वहां से भाग गये। उसके बाद मौके पर पुलिस आई और गजेन्द्र सिंह को अस्पताल लेकर गई। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उक्त मारपीट करने वालों की पुलिस ने उससे कोई शिनाख्त परेड नहीं कराई।

26. गवाह पी.ड. 14 विनोद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 12.07.2020 को पीएस गांधीनगर पर हैडकानि के पद पर तैनात था। उस दिन मैं मालखाना इंचार्ज के पद पर भी पदस्थापित था। उस दिन श्री राजेश कुमार एसआई एसएचओ ने मुकदमा संख्या 187/2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 504 आईपीसी के प्रकरण में जब्तसुदा एक पुरानी इस्तेमाली थार जीप आरजे 01 यूवी 1855 व दिनांक 14.07.2020 को एक स्वीफ्ट कार आरजे 01 सीबी 8066 व दिनांक 17.07.202 को एक स्कॉर्पियो गाडी नम्बर आरजे 42 यूबी 5100 व इसी दिनांक को एक कपडे की थैली सील्ड मोहर व चिटचैपा के जिसमें एक लौहे का सरिया जब्तसुदा वजह सबूत लाकर मुझे पेश किया जिसका मैने मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 138/2020 पर इंद्राज कर उक्त वाहनो को थाना परिसर में सुरक्षित खडी करवाया और कपडे की थैली को मालखाना में जमा किया जिनका विवरण मालखाना

रजिस्टर में अंकित है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 28 है जिसकी पत्रावली पर प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 28 ए है। जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त वाहनों को कौन चलाकर थाने पर लेकर आया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

27. गवाह पी.ड. 15 मांगीलाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 03.07.2020 को थाना गांधीनगर पर हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उसी दिन थानाधिकारी महोदय ने एफआईआर संख्या 187/2020 दर्ज कर बाद तफतीश हेतु मुझे प्राप्त हुई। उसी दिनांक को परिवादी गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवंर सिंह व महेन्द्र जोशी व जितेन्द्र वैष्णव के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शमिल पत्रावली किये गये। उसी दिन घटनास्थल डीएमटीसी ट्रांसपोर्ट मार्बल गोदाम गांधीनगर पर जाकर नक्शा मौका रूबरू गवाहान मेरे द्वारा तैयार कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये उक्त नक्शामौका प्रदर्श पी–03 है। उीस दिन मैंने मजरूब गजेन्द्र सिंह, महेन्द्र जोशी व जितेन्द्र सिंह का मेडिकल करवाकर चोट प्रतिवेदन तैयार करवा शामिल पत्रावली किया गया। बाद उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाधिकारी श्री राजेश मीणा के सुपूर्द की गई। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि नक्शे मौके में खून के निशानात वाला कोई स्थान नहीं दर्शा रखा है।जब मैं मौके पर गया तो वहां खून के निशान नहीं थे।

28. गवाह पी.ड. 16 अरूण सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं, दिनांक 24.02.2021 को पीएस गांधीनगर पर कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाने पर दर्ज प्रकरण संख्या 187/20 मे शाह नवाज उर्फ सानू को मेरे समक्ष जरिये फर्द गिरफतारी किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 26 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिन मेरे समक्ष मुल्जिम नौरत चैधरी उर्फ शेफली को उक्त प्रकरण में जरिये फर्द गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 27 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिन उक्त प्रकरण में मुल्जिम गिरधारी को मेरे समक्ष जरिये फर्द गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 29 है जो मेरे सामने थाना

गांधीनगर पर तैयार की गई थी। इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुलजिमान शाह नवाज, नौरत व गिरधारी को थाने पर ही गिरफ्तार किया था।

29. इस तरह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त साक्ष्य का समग्र विश्लेषण करे तो हस्तगत प्रकरण का परिवादी/मजरूब गजेन्द्र सिंह व अन्य मजरूबान पी.ड. 4 महेन्द्र जोशी व पी.ड. 5 जितेन्द्र कुमार वैष्णव इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इन गवाहान ने अपनी साक्ष्य में मुलजिमान द्वारा तहरीरी रिपोर्ट में दर्ज गाड़ियों में बैठकर आना व इन मजरूबान के साथ मारपीट कर उनके चोटें कारित करने के तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है। हस्तगत प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाहान पी.ड. 2 भावना व पी.ड. 3 कृष्णा सोनी भी इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इन्होंने भी अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। अन्य परीक्षित गवाहान में से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मुलजिमान द्वारा मजरूबान के साथ मारपीट कर उनके चोटें कारित करने का कोई कथन नहीं किया है।

30. **इस तरह अभियोजन इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.07.2020 को किसी समय घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूबान गजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र वैष्णव व महेन्द्र जोशी को साशय अपमानित कर एवं परिवादी गजेन्द्र सिंह के ऑफिस में गृह अतिचार कर इन मजरूबान के साथ घातक आयुधों से मारपीट कर इन्हें साधारण व प्राण घातक चोटें कारित की। इस तरह उपरोक्त किए गए विवचेन से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण** आसिक, मोहम्मद सलीम, सुखराम, विनोद, धर्मेन्द्र, शाहनवाज

उर्फ शानू, गिरधारी, नौरत चौधरी उर्फ सेफ्री, करतार **अपराध अंतर्गत धारा** 147, 148, 149, 452, 323, 504, 307 भारतीय दण्ड संहिता में तथा अभियुक्त **रजत अपराध अंतर्गत धारा** 452, 323, 504, 307/109 भारतीय दण्ड संहिता **के आरोपों से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।**

<u>आदेश</u>

31. **परिणामतः अभियुक्तगण (1)** आसिक पुत्र अलाउद्दीन, उम्र 22 साल, निवासी रामनेर ढाणी (सरदार सिंह की ढाणी) पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर, (2) मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद बाबू उम्र 25 साल, निवासी सोनगरा के मकान के पास वार्ड नं. 5 चमड़ाघर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर, (3) सुखराम पुत्र श्री गोविन्दराम, उम्र 24 साल निवासी धांधों की ढाणी नोनन्दपुरा पुलिस बाना रूपनगढ़ हाल शिवविहार कॉलोनी वार्ड–1 गांधीनगर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर, (4) विनोद पुत्र श्री हरलाल, उम्र 25 साल निवासी सरदारसिंह की ढाणी (रामनेर ढाणी) पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर, (5) धर्मेन्द्र पुत्र श्री बिशनलाल उम्र 31 साल निवासी मैन रोड सांवतसर पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर, (6) शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र शाहबुदीन उम्र 30 साल, निवासी देशवाली मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ पुलिस थाना किशनगढ़ शहर जिला अजमेर, (7) गिरधारी पुत्र श्री नानूराम उम्र 25 साल निवासी कोटडी पुलिस थाना रूपनगढ़ हाल किरायेदार रुपाराम चौधरी निवासी चौधरी कॉलोनी वार्ड नं. 03 गांधीनगर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर, (8) नौरत चौधरी उर्फ सेफ्री पुत्र श्री गोपीराम उम्र 22 साल, निवासी जाट समाज भवन के पास सांवतसर पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर, (9) करतार पुत्र श्री श्योजीराम उम्र 24 साल निवासी बांगडों की ढाणी चीताखेड़ा पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर **को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा** 147, 148, 149, 452, 323, 504, 307 भारतीय दण्ड संहिता में तथा (10) रजत जैन (सोनी) पुत्र श्री अनिल कुमार उम्र 27 साल निवासी इटावा रोड सिरसागंज थाना

सिरसागंज जिला फिरोजाबाद (यूपी) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 307/109 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। इन मुलजिमान के उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

32. **प्रकरण में अभियुक्त आदिल पठान पुत्र नवाब मफरूर है। अतः पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से नोट अंकित हो कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।**

33. राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों पर विचार किया गया। हस्तगत प्रकरण के मजरूबान गजेन्द्र सिंह राठौड़, जितेन्द्र कुमार वैष्णव व महेन्द्र जोशी इस न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं इन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इन्हें राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंषा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01,
किशनगढ़ जिला अजमेर।

34. यह निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07-05-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01,
किशनगढ़ जिला अजमेर।

Steno Gr. II
"Authenticate Document"

SUNIL SONI

Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.05.08 08:57:17 +0530